रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-09062022-236434 CG-DL-E-09062022-236434

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2507] No. 2507] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 9, 2022/ज्येष्ठ 19, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 9, 2022/JYAISHTHA 19, 1944

भारी उद्योग मंत्रालय आदेश

नई दिल्ली, 8 जून, 2022

का.आ. 2634(अ).— भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श करने के पश्चात्, भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11) की धारा-17 के साथ पठित धारा-16 की उपधारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार यह मानते हुए कि सार्वजनिक हित में ऐसा करना आवश्यक है, एतद्वारा ऑटोमोबिल व्हील रिम घटक (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2020 में और अधिक संशोधन के लिए निम्नलिखित आदेश बनाती है, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-

- 1. इस आदेश को ऑटोमोबिल व्हील रिम घटक (गुणवत्ता नियंत्रण) संशोधन आदेश, 2022 कहा जाएगा।
- 2. यह सरकारी राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
- 2. दिनांक: 22 अक्टूबर, 2021 के ऑटोमोबिल व्हील रिम घटक (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेश, 2021 में पैरा 2 में, उप-पैराग्राफ (2) के लिए निम्नलिखित उप-पैरा को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
 - "(2) यह 22.06.2023 से प्रभावी होगा।"

[फ़ा. सं. 12(67)/2019-एईआई (20457)]

अमित मेहता, संयुक्त सचिव

3874 GI/2022 (1)

नोट: मुख्य आदेश दिनांक 21 सितंबर, 2020 के का.आ. 3227 (अ) के माध्यम से भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित किया गया, दिनांक 28 मई, 2021 के का.आ. 2132(अ) के माध्यम से पहली बार संशोधित किया गया था और पिछली बार दिनांक 22 अक्तूबर, 2021 की अधिसूचना संख्या का.आ. 4493(अ) द्वारा संशोधित किया गया था।

MINISTRY OF HEAVY INDUSTRIES

ORDER

New Delhi, the 8th June, 2022

S.O. 2634(E).— In exercise of the powers conferred by sub-sections (1) and (2) of section 16, read with section 17 of the Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016), the Central Government, after consulting the Bureau of Indian Standards, is of the opinion that it is necessary so to do in the public interest, hereby makes the following Order further to amend the Automobile Wheel Rim Component (Quality Control) Order, 2020, namely:-

1. Short title and commencement.-

- 1. This Order may be called the Automobile Wheel Rim Component (Quality Control) Amendment Order, 2022.
- 2. It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
- **2.** In the Automobile Wheel Rim Component (Quality Control) Order, 2021 dated: 22nd October, 2021, in paragraph 2, for sub-paragraph (2), the following sub- paragraph shall be substituted, namely:-
 - "(2) It shall come into force with effect from 22.06.2023."

[F. No. 12(67)/2019-AEI (20457)]

AMIT MEHTA, Jt. Secy.

Note: The principal Order was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Subsection (ii) vide number S.O.3227(E), dated the 21st September, 2020, Amended-1 vide notification number S.O. 2132(E), dated: 28th May, 2021 and lastly amended vide notification number S.O. 4493(E), dated: 22nd October, 2021.